Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भरतपुर में चेयरपर्सन, नगर पालिका कामां का पति व अधिशासी अधिकारी का सहयोगी ड्राईवर (प्राईवेट व्यक्ति) 1 लाख 32 हजार रुपये रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार**
- **चेयरपर्सन, नगर पालिका कामां का पति व अधिशासी अधिकारी मौके से फरार, तलाशी जारी**

जयपुर, *13 जूलाई, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर द्वारा आज कामां, भरतपुर में कार्यवाही करते हुये भगवान लाल चेयरपर्सन, नगर पालिका कामां का पति व अधिशासी अधिकारी का सहयोगी ड्राईवर हरिसिंह (प्राईवेट व्यक्ति) को 1 लाख 32 हजार रुपये रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यों के बकाया बिलों के भुगतान की एवज में भगवान लाल चेयरपर्सन, नगर पालिका कामां का पति व श्यामबिहारी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका कामां द्वारा 3 प्रतिशत कमीशन के रूप में 1 लाख 32 रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह शेखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर लाल एवं पुलिस निरीक्षक श्री रघुवीर शरण** एवं उनकी टीम द्वारा कामां भरतपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये ड्राईवर हरिसिंह (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से प्राप्त 1 लाख 32 **हजार रुपये की रिश्वत** राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी भगवान लाल चेयरपर्सन, नगर पालिका कामां का पति व श्यामबिहारी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका कामां एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गये, जिनकी तलाश की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।